अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 57/10

काल्या उर्फ कालू लाल आत्मज भंवरिया आयु 65 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. चतरा पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. हीरा लाल पुत्र भवरिया जाति चमार निवासी महावीर नगर प्रथम, कोटा ।
3. श्रीमती मथुरी बाई पत्नी भंवरिया जाति चमार निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 212/दावा/1995

काल्या उर्फ कालू लाल आत्मज भंवरिया आयु 65 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. चतरा पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा।

लाल पुत्र भवरिया जाति चमार निवासी महावीर नगर प्रथम, कोटा ।

श्रीमती मथुरी बाई पत्नी भंवरिया जाति चमार निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा .के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.04.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र नन्दवाना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट संख्या 57/10 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 24.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 57/10

काल्या उर्फ कालू लाल आत्मज भंवरिया आयु 65 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. चतरा पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. हीरा लाल पुत्र भवरिया जाति चमार निवासी महावीर नगर प्रथम, कोटा ।
3. श्रीमती मथुरी बाई पत्नी भंवरिया जाति चमार निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 56/10

काल्या उर्फ कालू लाल आत्मज भंवरिया आयु 65 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. चतरा पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. हीरा लाल पुत्र भवरिया जाति चमार निवासी महावीर नगर प्रथम, कोटा ।
3. श्रीमती मथुरी बाई पत्नी भंवरिया जाति चमार निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.01.2003 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध पेश की गई है ।

उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने से तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धित होने से तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 चतरा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 0.53 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 608/748 रकबा 1.85 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.38 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 का 1/4 – 1/4 हिस्सा है । वादी अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है ।

4. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर प्रत्येक के पृथक–पृथक खाते में दर्ज करते हुए खाता व लगान अलग कायम किया जावे तथा वादी को उनके हिस्से की भूमि पर तन्हा कब्जा दिलाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.06.2000 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया । प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.01.2003 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.01.2003 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा में प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की अलग–अलग दोनों अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.09.2004 को मौके पर आकर निर्णय व डिक्री के तहत कब्जा देने की बात कहने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को सम्मन नोटिस दिये बिना ही एकपक्षीय पारित

न दिया जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी में संवत् 1994 से 1997 के राजस्व रिकॉर्ड में भोलू के स्थान पर उनके लडके भंवरिया, सुक्खा एवं लक्खा का नाम अंकित है । लक्खा ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से में आयी भूमि को पॉच रूपये के स्टाम्प पर अपीलान्ट के नाम दिनांक 03.06.82 को बेचान कर दिया और लक्खा के मात्र एक लडकी कमला पत्नी मदन की सहमति से लक्खा द्वारा लिखित बेचान नामे पर अंगूठा लगाकर की गई और वादी एवं रेस्पोडेन्ट के पिता के भी लक्खा द्वारा अभिलिखित बेचाननामे पर हस्ताक्षर हैं जो इस बात का द्योतक है कि सहवन से भोलू के लडके भंवरिया, सुक्खा व लक्खा के संयुक्त रूप से खाते दर्ज आराजी का इन्द्राज केवल भंवरिया के नाम ही दर्ज की गई । वादग्रस्त आराजी के तथाकथित राजस्व रिकॉर्ड को देखकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय है वह निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने मथरी पत्नी और उनके लडके चतरा, कालू व हीरा के बीच रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत बंटवारा का दावा प्रस्तुत कर एक तरफा कार्यवाही करवाते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित करवा ली जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.01.2003 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की है और विलम्ब के भी कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी । अपीलान्ट पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामील करवाए थे जो विधिवत तामील हुए हैं । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर उक्त अपीलें विलम्ब से पेश की है और विलम्बित अवधि क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की हैं उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.01.2003 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि वादी रेस्पोडेन्ट एवं प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 1/4 – 1/4 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को उनके हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर बिना पक्षकारान को सूचित किये ही अंतिम डिक्री भी पारित कर दी जबकि नियमानुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करते हुए पक्षकारान

अलग से सूचित किया जाकर तहसीलदार, द्वारा उनकी उपस्थिति में राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में बुरी के आधार पर विभाजन किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान को सूचित किये ही उक्त अपीलाधीन अंतिम डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इसी प्रकार तहसील से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कोई सूचना पत्र भी जारी होना नहीं पाया गया है । इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैध एवं विधि के सुस्थापित नियमों के विपरीत है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 57/10 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2000 बहाल रखी जाती है । अपील संख्या 56/10 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.01.2003 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है वह प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए तहसीलदार से विधिवत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा